IS 15700:2005

सेवोत्तम प्रमाणित

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद
(भूमि अर्जन अनुभाग)
104, महात्मा गाँधी मार्ग, लखनऊ
Website : http://www.upavp.in; E-mail : info@upavp.com

पत्र संख्या 1201/एल०ए०सी०/एच०क्यू० दिनांक : 06.10.2017

नोटिस

[उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद अधिनियम-1965 (अधिनियम संख्या-1, 1966) की धारा-28 के अन्तर्गत नोटिस]

उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद ने गोण्डा शहर की आवासीय समस्या के निराकरण हेतु आवासीय योजना ''गोण्डा–फैज़ाबाद मार्ग भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना गोण्डा'' बनाई है।

योजना में समाविष्ट क्षेत्र की सीमायें निम्न प्रकार है :–

उत्तर :– खसरा संख्या – 505, 556, 555, 554, 553, 550, 592 ग्राम – पूरे शिवाबख्तावर, परगना तहसील व जनपद – गोण्डा।

पूरब :– खसरा सख्या – 593 भाग, 594 ग्राम – पूरे शिवाबख्तावर, परगना, तहसील व जनपद – गोण्डा।

दक्षिण :– खसरा संख्या – 545, 527, 526, 547 भाग, 524, 523, 547 भाग, 526 ग्राम – पूरे शिवाबख्तावर, परगना, तहसील व जनपद – गोण्डा।

पश्चिम :– खसरा संख्या – 519, 506 ग्राम – पूरे शिवाबख्तावर, परगना, तहसील व जनपद – गोण्डा।

योजना में समाविष्ट भूमि का विवरण, मानचित्र कार्यालय आवास आयुक्त, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, 104 महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ अथवा कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड–2 उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, इन्दिरा नगर, लखनऊ में किसी भी कार्य दिवस में 11:00 बजे पूर्वान्ह से 3.00 बजे अपरान्ह तक देखे जा सकते है।

योजना क्षेत्र में स्थित निर्माणों के भूस्वामियों पर परिषद अधिनियम के प्राविधानों के अनुसार बेटरमेन्ट फी/विकास व्यय भी अधिभारित होगा।

योजना के विपरीत आपत्तियों को इस नोटिस के प्रथम बार उ०प्र० गजट के प्रकाशन की तारीख़ से 30 दिन के अन्दर कार्यालय आवास आयुक्त, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, 104 महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ अथवा कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड–2, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, इन्दिरा नगर, लखनऊ में ली जायेगी। निर्धारित समय के बाद कोई आपत्ति स्वीकार नहीं की जायेगी। आपत्ति में योजना का सही नाम व योजना में समाविष्ट आपत्तिकर्ता की भूमि/भवन/ग्राम का नाम/प्लाट नम्बर/क्षेत्रफल अन्य सभी विवरण होने चाहिए।

आवास आयुक्त